नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2015

का.नि.आ. 46.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रद्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और नौसेना समूह 'ख' (अननुसचिवीय) रूसी भाषा अनुवादक भर्ती नियम, 2000 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) में रूसी भाषा अनुवादक के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना), रूसी भाषा अनुवादक भर्ती नियम, 2015 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पदों की संख्या, और वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान. उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या उससे संलग्न वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, बायु सीमा, बर्हताएँ बादि.- भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएँ और उससे संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरईता.– वह व्यक्ति
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुजेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शियिल करने की शक्ति.- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों कि बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भृतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

			अनुसूर्च	<u> </u>	
पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रूसी भाषा अनुवादक	03* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, रु. 9300- 34800+ ग्रेड वेतन रु. 4200	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अनिधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख
					जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
आवश्यक: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रूसी भाषा में वैचलर डिग्री के साथ किसी निजी सूचीबद्ध संगठन या सरकारी संगठन में अनुवादक के कार्य में दो वर्ष का अनुभव; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रूसी भाषा में मास्टर डिग्री; या किसी मान्यता प्राप्त विश्व विध्यालय से डिग्री के साथ रूसी भाषा में दो वर्ष का डिप्लोमा। टिप्पण 1:- अर्हताए, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताए) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं हैं	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धित : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

(10)

सीधी भर्ती द्वारा

टिप्पण 1 : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर अंतरण या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अविध के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ नौसेना की निम्न विचारनाओं के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी:

- (क) () जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या
 - () जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1 में वेतनमान 5200- 20200 रू + ग्रेड वेतन 2800 रू या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छ: वर्ष की सेवा की हो; और
- (ख) स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति या आमलेन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सिहत एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
	समूह 'ख' विभागीय पृष्टि/समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. कमोडोर के रैंक का अधिकारी या संबंधित कमांड मुख्यालय के समतुल्य रैंक का सिविलियन अधिकारी – अध्यक्ष 2. कमांडर के रैंक का अधिकारी या संबंधित कमांड मुख्यालय के समतुल्य रैंक का सिविलियन अधिकारी – सदस्य 3. लेफ्टेनेंट कमांडर के रैंक का अधिकारी या संबंधित कमांड मुख्यालय के समतुल्य समतुल्य रैंक का सिविलियन अधिकारी – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा.सं. सी.पी. (एनजी)/2848/आर टी/भर्ती नियम/389/डी/नियुक्तियां/2015] दलपत सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd December, 2015

- S.R.O. 46.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Navy Group 'B' (Non-Ministerial), Russian Translator Recruitment Rules, 2000, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Russian Translator in the Integrated Headquarters Ministry of Defence
- Short title and commencement. (1) These rules may be called the Integrated Headquarters, Ministry of Defence (Navy) Russian Translator Recruitment Rules, 2015.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- The number of posts, classification and pay band and grade pay or pay scale. The number of the said post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age limit, other qualification, etc. The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification: No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, except any person the operation of this rule.

- Power to relax. Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving. Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Exservicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government

SCHEDULE

Name of Post	Number of posts	Classification	Pay Band, Grade Pay or Pay scale	Whether selection post or non- selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Russian Translator	03* (2015) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Non- Gazetted, Non- Ministerial.	Pay Band- 2 Rs. 9300- 34800 with Grade Pay of Rs. 4200/-	Not applicable.	Not exceeding 30 years (relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Essential: Bachelor's Degree from a recognised University in Russian Language, with two years experience in translation work in any private listed organisation or government organisation; or Bachelor's Degree from a recognised University, with Master's Degree in Russian Language; or	Not applicable	Two years for direct recruits
Bachelor's Degree from a recognised University, with two years Diploma in Russian Language.		
Note 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.		
Note 2. The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belong to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.		

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption be made	Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
By direct recruitment Note 1. Vacancies caused by the incumbent being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Lower Formations of Navy; (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in PB-1, Rs.5200-20200 plus Grade Pay of Rs.2800 or equivalent in the parent cadre/department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column (7). Note 2. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications. Note 3. For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation)consisting of - 1. Officer of the rank of Commodore or Civilian Officer of equivalent rank of respective Command Headquarters - Chairman 2. Officer of the rank of Commander or Civilian Officer of equivalent rank of respective Command Headquarters - Member 3. Officer of the rank of Lieutenant Commander or Civilian Officer of equivalent rank of respective Command Headquarters - Member	(13) Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. CP(NG)/2848/RT/RR/389 /D(Apptts)/2015]

DALPAT SINGH, Under Secy.